7. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्य इस प्रकार है कि ग्रेवल सडक निर्माण कार्य अटल सेवा केन्द्र से बोरा का पाना तक महानरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत है। ग्राम कूजोता की जमाबंदी खसरा संख्या 71 रकबा 0.65 हैक्टर में गै.मु. रास्ता दर्ज है एवं राजस्व नक्शें में गै.मु. रास्ता दर्शाया हुआ है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कार्ययोजना एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत कराया है। रास्ते पर ग्रेवल सडक बनने से ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा बनी है। उक्त कार्य सार्वजनिक हित का कार्य है। इस निर्माण से किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम सभा प्रस्ताव, कार्ययोजना वार्षिक राजस्व रिकॉर्ड तथा जनहित का कार्य देखते हुए वाद को निरस्त फरमावें।

8. बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की आराजी ख. नं. 48/1052/0.63, 48/1053/0.52 कुल किता 2 रकबा 1.15 हैक्टर भूमि कब्जे काश्त की भूमि व खातेदारी भूमि है। ग्राम पंचायत कूजोता द्वारा दिनांक 22/8/2016 को ग्रेवल सडक का निर्माण अटल सेवा केन्द्र से बोरा के पाना तक प्रस्ताव लिया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी की बिना सहमति से प्रार्थी की खातेदारी भूमि में निर्माण करने का प्रस्ताव लिया गया है, जबकि बिना सहमति लिए एवं बिना भूमि अवाप्त किये प्रार्थी की खातेदारी भूमि में निर्माण नहीं कर सकते है एवं ना ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि बाबत प्रस्ताव लिया जा सकता है। उक्त प्रस्ताव की आड में प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा ग्रेवल सडक का निर्माण कर रही है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.न. 48/1050/0.63, 48/1050/0.52 कुल किता 2 कुल रकबा 1.15 हैक्टर वाके मौजा कूजोता तहसील कोटपूतली में अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा ग्रेवल सडक का निर्माण रूकवाया जाकर उपरोक्त प्रस्ताव को निरस्त फरमावें।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं साक्ष्य सबूत तथा प्रस्तुत किये दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो पाया कि ग्राम कुजोता के ख.नं. 71 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है, जो राजस्व नक्शे में रास्ता दर्शाया हुआ है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम पंचायत कूजोता द्वारा गै.मु. रास्ता का प्रस्ताव लिया जाकर अटल सेवा केन्द्र से बोरा के पाने तक ग्रेवल सडक निर्माण कार्य स्वीकृत कराया है एवं स्वीकृति अनुसार ही सार्वजनिक हितार्थ कार्य ग्रेवल सडक होना है। चूँकि सक्षम अधिकारी से ग्राम पंचायत कूजोता को ग्रेवल सडक निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिली है। उक्त स्वीकृति अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बर गै.मु. रास्ते पर ग्रेवल सडक का निर्माण किया जाना है। ऐसी स्थिति में ग्रेवल सडक निर्माण में व्यवधान डाला जाना उचित नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

10. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

11. निर्णय आज दिनांक 16.5.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)